पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Website – www.prsu.ac.in, Email degree.rsu@yahoo.com
Fax No. 0771-2262818, 0771-2263439

क्रमांक 251 /उपाधि/नामांकन/2024 रायपुर, दिनांक 27/12/2024

//अधिसूचना//

विद्यापरिषद की स्थायी समिति बैठक दिनांक 27/11/2024 के निर्णय को कार्यपरिषद् के बैठक दिनांक 28/11/2024 में अनुमोदन के परिपालन में छात्र/छात्राओं के उपाधि संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नानुसार बिन्दु अधिसूचित किया जाता है :–

1- अंकसूची में छात्र/छात्राओं के नाम संबंधी त्रुटियाँ।
अंकसूचियों में छात्र/छात्राओं के नाम संबंधी त्रुटियों में सुधार विगत परीक्षा में उनके द्वारा अंकित सूचना अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इस संदर्भ में किसी विवाद की स्थिति में विद्यापरिषद की अनुशंसा पर कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

2- अंकसूचियों में छात्राओं के नाम के सम्मुख कु. (KU.) का उल्लेख होना अथवा न होना।
छात्र/छात्रा का केवल नाम ही अंकसूची में अंकित किया जाएगा, नाम के सम्मुख कु./श्रीमती/श्री/डॉ. नहीं लिखा जाएगा। यदि किसी स्तर पर छात्र/छात्रा अपने नाम के सम्मुख श्री/कु./डॉक्टर आदि जुड़वाना चाहे तब इससे संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हुए शपथ–पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय से निवेदन कर सकेगा, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यह छात्र/छात्राओं का अधिकार नहीं होगा। यदि छात्रा विवाहित है और उसने अपने आवेदन में नाम से पहले श्रीमती शब्द और उपनाम भी लिखा है तो विवाह का पंजीयन प्रमाण–पत्र अथवा शपथ–पत्र लेकर उसके नाम से पहले श्रीमती तथा उपनाम लिखा जा सकेगा।

3- माता–पिता अभिभावकों का पूर्ण नाम अथवा लघु नाम (full Name & Short Name) त्रुटि।
विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित आवेदन पत्रों में माता–पिता के नाम के दो नये कालम पूर्ण नाम एवं संक्षिप्त नाम, बढ़ाया जाएगा ताकि हाई स्कूल/मैट्रीकुलेशन (बारहवीं) की अंकसूची/प्रमाण–पत्र से इसका मिलान कर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में किसी विवाद की स्थिति में विद्यापरिषद की अनुशंसा पर कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

4- नामांकन संख्या अथवा नामांकन संबंधी अन्य त्रुटियॉ।
नामांकन संख्या एवं नामांकन सम्बन्धी आवेदन–पत्र में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अंकित सूचना के सम्बन्ध में नामांकन विभाग द्वारा आवेदित संशोधन के उपरान्त ही उपाधि विभाग द्वारा उपाधि निर्गत की जाएगी।

क्रमशः...

Scanned with OKEN Scanner

5- नामांकन संख्या संयोजन/आवंटन के सम्बन्ध में।
प्रवेश के समय छात्र/छात्रा को जो नामांकन संख्या आवंटित की जाएगी वह विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहने तक तथा अध्ययन के दौरान पाठ्यक्रम परिवर्तित करने पर भी यथावत रहेगी।

6- नाम परिवर्तन (छात्र/छात्रा/अभिभावक) के संबंध में।
उक्त के संबंध में संबंधित राज्य के राजपत्र की प्रति मान्य होगी।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

26/12/24

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर

पृ.क. 252/उपाधि/नामांकन/2024 रायपुर, दिनांक 27/12/2024

प्रतिलिपिः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख, पं.र.शु.वि.वि.रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, पं.र.शु.वि.वि.रायपुर को सूचनार्थ।
3. वित नियंत्रक पं.र.शु.वि.वि.रायपुर को सूचनार्थ।
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक पं.र.शु.वि.वि.रायपुर को सूचनार्थ
5. मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सह. संघ मर्यादित आवासीय कार्यालय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

सहा. कुलसचिव
उपाधि/नामांकन विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर

Scanned with OKEN Scanner